

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 275/14
 संस्थापन दिनांक:-12/05/14
 फाईलिंग नं. 233504000382014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

लुखनसिंह पिता फूलसिंह राजपूत
 उम्र 35 वर्ष, निवासी उमरिया,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 31.01.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 05.05.2014 को समय करीब 12:10 बजे अपने घर के सामने ग्राम उमरिया थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी गुनाबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी गुनाबाई को बाल पकड़कर गिराकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.05.2014 को फरियादी की लड़की सलमा ने उसे आकर बताया कि वह अभियुक्त के घर पैसा मांगने गयी तो अभियुक्त उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहा था। जब वह अभियुक्त को उसके घर बोलने गयी तो अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी एवं बाल पकड़कर गिरा दिया जिससे उसे गर्दन, गाल, सिर, पीठ में अंदरूनी चोटें आयी। अभियुक्त ने उसे किसी को बताने और रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 316/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी गुनाबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी गुनाबाई को बाल पकड़कर गिराकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का निराकरण

5 सलमाबाई (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्त ने घटना के समय उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी सलमा (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय उसे गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 गुनाबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में घटना के समय अभियुक्त द्वारा उसे काट डालूंगा, मार डालूंगा की धमकी दिया जाना बताया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभिप्रास कारित करने के संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि फरियादी गुनाबाई (अ.सा.-1) ने अभियुक्त द्वारा उसे काट डालूंगा, मार डालूंगा की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु अभियुक्त द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

8 गुनाबाई (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि अभियुक्त ने उसे बाल पकड़कर गिरा दिया था, उसके साथ झूमा झटकी हुई थी जिससे उसे पसली में चोट आयी थी और सिर में दर्द हो रहा था। सलमाबाई (अ. सा.-2) ने यह बताया है कि उसकी मां ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने दिनांक 05.05.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत गुनाबाई का परीक्षण किये जाने पर आहत को गर्दन, सिर एवं बांयी भुजा में दर्द पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) को प्रमाणित भी किया है।

10 बाबूलाल पवार (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 05.05.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 316/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 07.05.2014 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-5) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

11 **बचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि** प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। गुनाबाई एवं सलमा मां-बेटी होकर हितबद्ध साक्षी हैं। अतः अभियोजन कथा को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में मोहन (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसके समक्ष घटना घटित नहीं हुई थी परंतु उसे बाद में यह जानकारी मिली थी कि अभियुक्त और गुनाबाई के बीच में विवाद हुआ था। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं परंतु मात्र उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला धराशायी नहीं हो जाता है।

13 गुनाबाई (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को उसने अभियुक्त को बीस हजार रुपये का जो अनाज दिया था उसका पैसा मांगने के लिए अपनी लड़की सलमा (अ.सा.-2) को भिजवाया था। सलमा अभियुक्त के घर पैसा मांगने के लिए गयी परंतु अभियुक्त ने उसे पैसा नहीं दिया। फिर वह अभियुक्त के घर पैसा मांगने के लिए गयी तो उसे अभियुक्त घर के अंदर नहीं मिला, एकदम से बाजू की गली से आया और बाल पकड़कर उसे गिरा दिया, उसके साथ झूमा झटकी की जिससे उसे पसली और सिर में दर्द होने लगा। सलमाबाई (अ.सा.-2) ने साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि वह अनाज के रुपये मांगने के लिए अभियुक्त के घर गयी थी, अभियुक्त ने उसे पैसे नहीं दिये उसके पीछे लकड़ी लेकर भागा, वह घर आयी अपनी मां को बताया तब उसकी मां गुनाबाई अभियुक्त के घर पर पैसा मांगने के लिए गयी। जब उसकी मां घर वापस आयी तो उसकी मां ने उसे बताया कि अभियुक्त ने उसकी मां के साथ मारपीट की थी।

14 गुनाबाई (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पहले पैसा मांगने के लिए उसकी लड़की सलमा अभियुक्त के घर गयी थी जब उसने घर वापस आकर यह बताया कि अभियुक्त पैसे नहीं दे रहा है तब वह अभियुक्त के घर पैसा मांगने के लिए गयी। तभी अभियुक्त दीवार के पास से आया। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि वह गिर गयी थी इसलिए उसे चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 02 में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि यदि अभियुक्त उसे दस हजार रुपये दे देता तो रिपोर्ट की नौबत नहीं आती परंतु स्वतः में साक्षी ने यह भी कहा कि यदि अभियुक्त पैसा दे देता तो मारपीट की नौबत भी नहीं आती। सलमा बाई (अ.सा.-2) ने भी प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पहले वह अभियुक्त के घर पैसा मांगने के लिए गयी थी, जब उसने नहीं दिया तो उसकी मां पैसा मांगने के लिए अभियुक्त के घर गयी थी। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई भी तथ्य प्रकट नहीं हुआ जिससे कि साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

15 साक्षी गुनाबाई (अ.सा.-1), सलमाबाई (अ.सा.-2) ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन किये हैं। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण के कथनों में कोई विरोधाभास भी नहीं है। दोनों ही साक्षी अभियुक्त द्वारा गुनाबाई के साथ

मारपीट किये जाने के तथ्य पर स्थिर है। स्वयं अभियोजन कथा अनुसार गुनाबाई को अभियुक्त द्वारा मारपीट किये जाने से केवल दर्द की शिकायत थी। चिकित्सकीय परीक्षण में भी आहत के शरीर पर उसके बताये गये स्थान पर दर्द होना पाया गया था। घटना की रिपोर्ट घटना दिनांक को ही फरियादी के द्वारा बिना विलंब लेख करायी गयी है जिससे अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किया जाना भी दर्शित नहीं हो रहा है। फततः यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने फरियादी गुनाबाई (अ.सा.-1) को स्वेच्छया उपहति कारित की।

16 अभियुक्त के द्वारा एकदम से आकर फरियादी गुनाबाई (अ.सा.-1) के साथ मारपीट किया जाना, उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी गुनाबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी गुनाबाई के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त लुखनसिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

18 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

19 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह

अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त गरीब परिवार का कर्ता पुरुष होकर सब्जी भाजी की दुकान लगाता है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा उसकी आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

20 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

21 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं एवं घटना में फरियादी को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 900/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

22 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 500/-रुपये आहत गुनाबाई पति नामदेव उइके, निवासी उमरिया, थाना आमला, जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

23 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

24 दं०प्र०सं० की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

